प्र.पी.-288 एवं प्र.पी.-288 ए

D-423

छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन

एन–3, अवंति विहार, मुख्यालय – रायपुर

क्र0 / छ0ग0वे0का0 / स्थापना / 2015–16 / 7131 रायपुर, दिनांक : 3 / 06 / 2015

प्रति,

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण
एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो
रायपुर।

विषय :– अपराध कमांक 09/15 धारा 13(2) सहपठित धारा 13 (1) डी, 11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरोपीगण श्री शिवशंकर भट्ट एवं अन्य के प्रकरण मे वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के आरोपी के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति आदेश से संबंधित।

संदर्भ प्रकण कमांक / अमनि / अपराध / 09 / 2015 रायपुर, मई 2015

––00–

उपरोक्त विषयान्तर्गत उक्त प्रकरण मे वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के कर्मचारी दिलीप कुमार शर्मा, तकनीकी सहायक / शाखा प्रबंधक, बालोद के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही करने हेतु स्वीकृति दी जाती है। निर्धारित प्रारूप मे अभियोजन स्वीकृति के आदेश संलग्न कर आगामी कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(ब्रजेश चन्द्र मिश्र)
प्रबंध संचालक

कार्यालय राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो
आवक क्र. 516
दिनांक 4-6-
मुख्या. छ.ग. रायपुर

Sec-3

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19(1) (सी) के अन्तर्गत अभियोजन स्वीकृति

// आदेश //

क्रमांक/छ0ग0वे0का0/स्थापना/2015–16/ 7131 रायपुर, दिनांक 3.06.2015

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एन्टी करप्शन ब्यूरो एवं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर के पत्र क्रमांक/अमनि/अपराध/09/2015/रायपुर, मई,2015 के माध्यम से उनके थाने के अपराध क्रमांक 09/2015, धारा 109, 120 बी, 420, 409 भादवि0 एवं 11, 13 (1) डी, 13 (2) भ्र.नि.अ. 1988, विरूद्व– शिवशंकर भटट, प्रबन्धक, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय रायपुर एवं अन्य के प्रकरण में आरोपी **श्री दिलीप कुमार शर्मा (निलंबित)** के विरूद्व अभियोजन स्वीकृति आदेश प्रदाय करने हेतु प्रस्ताव **अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा पदेन अध्यक्ष, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड,** के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

(1) **आरोपी श्री दिलीप कुमार शर्मा** के सबंध में यह अभिकथित किया गया है कि उन्होने अपराध क्रमांक 09/2015 के प्रकरण में छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड निगम द्वारा वर्ष 2014–15 के दौरान चांवल उपार्जन/परिवहन, नमक क्रय/परिवहन एवं अन्य कार्यो में संगठित भ्रष्टाचार करोड़ों रूपयों की अवैध राशि बिना किसी प्रतिफल के तथा पद का दुरूपयोग करते हुए प्राप्त की है। साथ ही छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड की धनराशि के संबंध में आपराधिक न्यास भंग भी किया गया है।

(2) प्रकरण के अनुसंधान में पाया गया है कि **शासन की कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत गरीब हितग्राहियों के लिए खाद्यान्न संग्रहण एवं वितरण जैसे महत्वपूर्ण जनहित कार्य में आरोपी लोकसेवक द्वारा अपनी पदीय हैसियत का दुरूपयोग करते हुए सुनियोजित एवं संगठित रूप से अपराधिक षडयंत्र कर भ्रष्टाचार के अवैध साधनों से अपने लिए एवं अन्य के लिए भारी धन संबंधी लाभ प्राप्त किया गया है, तथा शासन द्वारा आबंटित राशि का बेईमानी पूर्वक उपयोग कर अपराधिक न्यास भंग करते हुए कुल 5,18,65,255.00 की आर्थिक क्षति कारित कर छल किया गया। विवेचना में संकलित दस्तावेजी साक्ष्य परिस्थितिजन्य तथ्य, मौखिक साक्ष्यों से धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1) डी, 11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 109, 120बी, 409, 420 भादवि0 का अपराध घटित करना। श्री दिलीप कुमार शर्मा छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन बालोद जिले मे तकनीकी सहायक/शाखा प्रबंधक–बालोद के पद पर कार्यरत था। इनका पद यह था कि शासन द्वारा निर्धारित मानक स्तर का चांवल संगठित करे। इसके विपरीत आरोपी ने संगठित भ्रष्टाचार मे शामिल होकर अमानक स्तर के चांवल का संग्रहण करने मे योगदान दिया एवं अवैध रकम की उगाही के काम मे भी सहयोग दिया। इसके कार्यालय से 80,720/– (अस्सी हजार सात सौ बीस) एवं घर से 22,96,150/– (बाईस लाख छियानवे हजार एक सौ पचास) एवं लॉकर से 3,88,750/– (तीन लाख अठासी हजार सात सौ पचास) रूपये नगद राशि ब्यूरो द्वारा जब्त की गई।**

(3) उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त आरोपी द्वारा पद का दुरूपयोग करते हुए बिना किसी प्रतिफल के अवैध धनराशि प्राप्त किया गया है। आरोपी का उक्त कार्य धारा–109, 120–बी, 420, 409 भादवि0 एवं 11, 13 (1) डी, 13(2) भ्र.नि.अ. 1988 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

(4) और चूंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19(1) (सी) के प्रावधान अनुसार आरोपी **श्री दिलीप कुमार शर्मा** को उपर्युक्त दण्डनीय अपराध के लिए अभियोजित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी, जो उन्हें सेवा से पृथक कर सके, की स्वीकृति आवश्यक है।

(5) अभियोजन स्वीकृति के संबंध में यह पाया गया है कि उपरोक्त आरोपी को सेवा से पृथक करने में छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक सक्षम है और चूंकि उपरोक्त आरोपी के संबंध में प्रस्तुत तथ्यों/अभिलेखों, साक्ष्य एवं जानकारियों का सूक्ष्म परीक्षण करने के बाद प्रबंध संचालक संतुष्ट है कि उक्त आरोपी **श्री दिलीप कुमार शर्मा** को न्यायालय में उपरोक्त अपराधों के लिए अभियोजन किया जावे।

(6) उपरोक्त अनुसार दिए गये प्राधिकार के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 (1) (सी) के अन्तर्गत मै,आरोपी **श्री दिलीप कुमार शर्मा** को धारा 11, 13 (1) डी, 13(2) भ्र.नि.अ. 1988 के अन्तर्गत अपराध के लिए एवं प्रभावशील अधिनियम के अन्तर्गत अन्य ऐसे अपराधों या अपराध हो जो प्रमाण से सिद्व हो, अभियोजन करने के लिए स्वीकृति आदेश जारी करता हूं।

छ.ग. स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन

(ब्रजेश चन्द्र मिश्र)
प्रबन्ध संचालक